

## प्राककथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की गयी आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके। वर्ष 2016-17 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।